सरकारी बजटींग

- बजट को एक निश्चित भविष्य की अवधि में राजस्व और व्यय के अनुमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और आमतौर पर इसे समय-समय पर संकलित और पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।
- सरकारी बजट, जिसे राष्ट्र के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण है जो एक वित्तीय वर्ष के लिए देश के राजस्व और व्यय को दर्शाता है।
- सरकारी बजट पर विधायिका द्वारा विचार-विमर्श किया जाता है, मुख्य कार्यकारी या राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, और देश के वित्त मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है।
- इसमें 'बजट' शब्द का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान; प्रयुक्त संबंधित शब्द 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (अनुच्छेद 112) है।

❖ **वे कौन सी संवैधानिक आवश्यकताएँ हैं जो बजट को आवश्यक बनाती हैं?**

1. **अनुच्छेद 265:**- प्रावधान करता है कि श्कानून के अधिकार के अलावा कोई कर लगाया या एकत्र नहीं किया जाएगा। [अर्थात् कराधान को संसद की मंजूरी की आवश्यकता है।]
2. **अनुच्छेद 266:**- प्रावधान करता है कि 'विधानमंडल की अनुमति के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता' [अर्थात् व्यय को संसद की मंजूरी की आवश्यकता है।]
3. **अनुच्छेद 112:**- अध्यक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, पहले रखी जाएगी संसद, वार्षिक वित्तीय विवरण।

बजट दस्तावेज

❖ बजट दस्तावेज संसद में पेश किये गयेवित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा, निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस) - अनुच्छेद 112
2. अनुदान की मांगें (डीजी) - अनुच्छेद 113
3. विनियोग विधेयक - अनुच्छेद 114(3)
4. वित्त विधेयक - अनुच्छेद 110 (A)
5. वित्त विधेयक में प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन।
6. प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए मैक्रो- इकोनॉमिक ढांचा - एफआरबीएम अधिनियम
7. वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य - एफआरबीएम अधिनियम
8. मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य - एफआरबीएम अधिनियम
9. मध्यम अवधि व्यय रूपरेखा विवरण - एफआरबीएम अधिनियम
10. व्यय बजट खंड-1
11. व्यय बजट खंड-2
12. प्राप्ति बजट
13. बजट एक नजर में
14. बजट की मुख्य बातें
15. पिछले वित्तीय वर्ष के वित्त मंत्री के बजट भाषण में की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन की स्थिति।

सरकारी बजट के उद्देश्य

❖ **संसाधनों का पुनः आवंटन** :- सरकार का लक्ष्य देश के संसाधनों को अधिक आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभप्रद, अधिक लाभ और कल्याण-उन्मुख तरीके से पुनः आवंटित करना है। यह निम्नलिखित टूल के माध्यम से किया जाता है:

(i) कर रियायतें या सब्सिडी: सरकार उत्पादकों को कर रियायतें, सब्सिडी आदि देकर निवेश को प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के लिए, सब्सिडी प्रदान करके 'खादी उत्पादों' के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके विपरीत, सरकार भारी करों के माध्यम से हानिकारक उपभोग वस्तुओं (जैसे शराब, सिगरेट, आदि) के उत्पादन को हतोत्साहित करती है।

(ii) प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन: यदि निजी क्षेत्र रुचि नहीं लेता है, तो सरकार सीधे उत्पादन का कार्य कर सकती है।

❖ **आय असमानता को पाटना:** अपनी राजकोषीय नीतियों के माध्यम से, सरकार देश में ऐसी आय और धन असमानताओं को कम करने का प्रयास करती है। यह अमीरों पर कर लगाकर और गरीबों के कल्याण पर अधिक खर्च करके किया जाता है। इससे अमीरों की आय कम होगी जबकि गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा।

❖ **आर्थिक स्थिरता की प्राप्तिः**- सरकारी बजट का उपयोग मुद्रास्फीति या अपस्फीति में व्यापार की अस्थिरता को रोकने के लिए किया जाता है, जिससे आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, मुद्रास्फीति के दौरान अधिशेष बजट नीतियां और अपस्फीति के दौरान घाटे की बजट नीतियां पूरी अर्थव्यवस्था में कीमतों को स्थिर रखने में मदद करती हैं।

❖ **सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधनः**- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के संचालन हेतु विभिन्न प्रावधान स्थापित करने तथा वित्तीय सहायता देने के लक्ष्य से भी बजट तैयार किया जाता है। ये उद्योग-धंधे अधिकतर जनकल्याण के लिए चलाये जाते हैं।

❖ **आर्थिक विकासः**-किसी देश की विकास दर उसकी बचत और निवेश दर से निर्धारित होती है। बजटीय नीति सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाकर इसे हासिल करने का प्रयास करती है। परिणामस्वरूप, सरकार अर्थव्यवस्था की समग्र बचत और निवेश दर को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई नीतियां शामिल करती है।

❖ **क्षेत्रीय असमानताओं को कम करनाः**- सरकारी बजट कर और व्यय नीतियों के माध्यम से क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करता है जो आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है।

बजट बनाने की प्रक्रिया

☞ बजट वित्त मंत्री द्वारा कई सलाहकारों और नौकरशाहों की सहायता से तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री तैयारी से पहले उद्योग जगत के दिग्गजों और अर्थशास्त्रियों की राय लेते हैं। विभिन्न लेखांकन और वित्त संबंधी संगठन अपनी राय और सुझाव भेजते हैं। भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया में भाग लेना और परिणामों को प्रभावित करना मुख्य रूप से नौकरशाहों का क्षेत्र बना हुआ है।

☞ आम तौर पर बजट बनाने की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में शुरू होती है। बजट के चार चरण होते हैं।

(1) व्यय और राजस्व का अनुमान
(2) घाटे का पहला अनुमान
(3) घाटा कम करना और
(4) बजट की प्रस्तुति और अनुमोदन - इसे संसद की लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है और बजट की प्रस्तुति और अनुमोदन की प्रक्रिया के लिए छह चरणों की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार हैं

- बजट की प्रस्तुति।
- आम चर्चा।
- विभागीय समितियों द्वारा जांच।
- अनुदान की मांगों पर मतदान।
- विनियोग विधेयक का पारित होना।
- वित्त विधेयक का पारित होना।

☞ वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है।

2017 में बदलाव पेश किए गए

- बजट प्रस्तुति को 1 फरवरी तक आगे बढ़ाना (पहले फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया जाता था),
- रेल बजट का आम बजट में विलय, और
- योजनागत और गैर-योजनागत व्यय को समाप्त करना।

नियोजित और गैर-योजनाबद्ध व्यय

☞ **योजनागत व्ययः**- योजना के नाम पर किये गये सभी व्यय (अर्थात् पंचवर्षीय योजनाएँ) योजनागत व्यय कहलाते थे। उदाहरण के लिए बिजली उत्पादन, सिंचाई और ग्रामीण विकास, सड़कों, पुलों, नहरों आदि का निर्माण पर व्यय।

☞ **गैर-योजनागत व्ययः**- योजनागत व्यय के अलावा अन्य सभी व्ययों को गैर-योजनागत व्यय के रूप में जाना जाता था। उदाहरण के लिए ब्याज भुगतान, पेंशन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को वैधानिक हस्तांतरण आदि।

सरकारी बजट के घटक

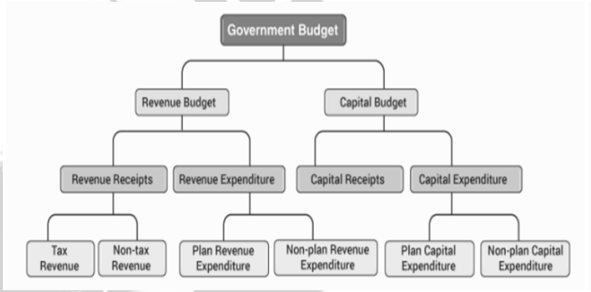

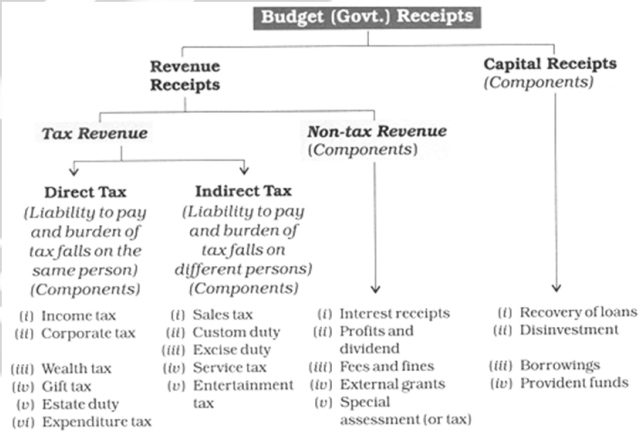

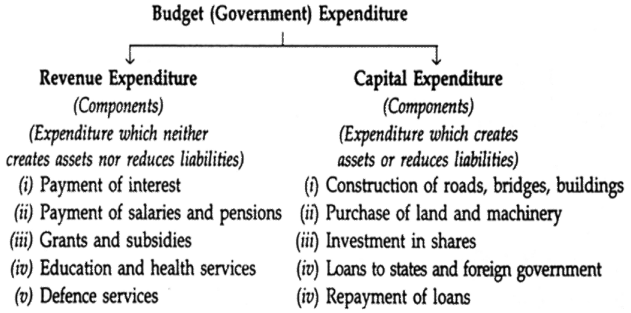

राजस्व बजट

❖ इसमें राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियाँ शामिल हैं।

- **राजस्व प्राप्तियाँ**- ऐसी प्राप्तियाँ हैं जिनका सरकार की संपत्तियों और देनदारियों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें सरकार द्वारा कर (जैसे उत्पाद शुल्क, आयकर) और गैर-कर स्रोतों (जैसे लाभांश आय, लाभ, ब्याज प्राप्तियां) के माध्यम से अर्जित धन शामिल होता है।
- **राजस्व व्यय**- सरकार द्वारा किया जाने वाला वह व्यय है जो उसकी संपत्तियों या देनदारियों को प्रभावित नहीं करता है। उदाहरण के लिए, इसमें वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन और प्रशासनिक व्यय शामिल हैं।

❖ **पूंजीगत आय-व्यय का लेखा**- इसमें पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय शामिल हैं।

- **पूंजीगत प्राप्तियाँ**- उन प्राप्तियों को इंगित करें जिनसे सरकार की संपत्ति में कमी या देनदारियों में वृद्धि होती है। इसमें शामिल हैं: (i) सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों जैसी परिसंपत्तियों (या विनिवेश) को बेचकर अर्जित धन, और (ii) राज्यों द्वारा उधार या ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त धन।
- पूंजीगत व्ययइसका उपयोग संपत्ति बनाने या देनदारियां कम करने के लिए किया जाता है। इसमें शामिल हैं: (i) सड़क और अस्पताल जैसी संपत्ति बनाने पर सरकार द्वारा दीर्घकालिक निवेश, और (ii) सरकार द्वारा राज्यों को ऋण के रूप में दिया गया धन या उसकी उधारी का पुनर्भुगतान।

सरकारी बजट के प्रकार

☛ **शून्य आधारित बजटिंग:**- शून्य-आधारित बजटिंग बजट बनाने की एक विधि है जिसमें हर बार बजट बनाते समय सभी खर्चों का मूल्यांकन किया जाता है और प्रत्येक नई अवधि के लिए खर्चों को उचित ठहराया जाना चाहिए।

- शून्य बजटिंग शून्य आधार से शुरू होती है और सरकार के प्रत्येक कार्य का उसकी आवश्यकताओं और लागत के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। फिर जरूरतों के आधार पर बजट बनाया जाता है।

☛ **परिणाम बजट:**- परिणाम बजट प्रत्येक मंत्रालय और विभाग की प्रगति का विश्लेषण करता है और सम्मानित मंत्रालय ने अपने बजट परिव्यय के साथ क्या किया है। यह सभी सरकारी कार्यक्रमों के विकास परिणामों को मापता है। इसे पहली बार साल 2005 में पेश किया गया था।

☛ **लिंग बजटिंग:**- लिंग-बजट को ''बजट के लिंग-आधारित मूल्यांकन, बजटीय प्रक्रिया के सभी स्तरों पर लिंग परिप्रेक्ष्य को शामिल करना और लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए राजस्व और व्यय का पुनर्गठन'' के रूप में परिभाषित किया गया है। यह वास्तव में लैंगिक समानता के लिए बजटिंग है।

- जेंडर बजट के माध्यम से, सरकार महिलाओं के विकास, कल्याण, सशक्तिकरण योजनाओं और कार्यक्रमों पर खर्च की जाने वाली राशि की घोषणा करती है।

बजट के प्रकार

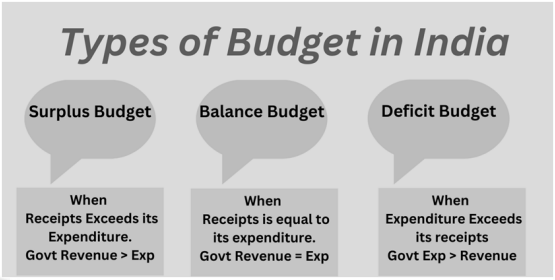

☛ **संतुलित बजट** - एक सरकारी बजट को संतुलित माना जाता है यदि अपेक्षित व्यय एक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों के बराबर है।

☛ **अधिशेष बजट**- बजट को अधिशेष तब कहा जाता है जब अपेक्षित राजस्व किसी विशेष व्यावसायिक वर्ष के अनुमानित व्यय से अधिक हो जाता है। यहां, बजट अधिशेष हो जाता है, जब लगाए गए कर, खर्चों से अधिक होते हैं।

☛ **घाटे का बजट**- यदि व्यय निर्दिष्ट वर्ष के लिए राजस्व से अधिक हो तो बजट घाटे में होता है।

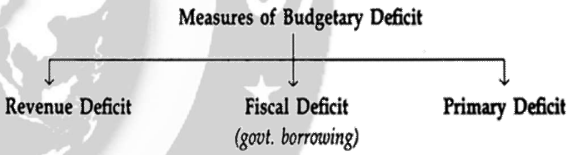

ऐसे कई उपाय हैं जो सरकारी घाटे को पूरा करते हैं:

☛ **राजस्व घाटा:**- यह राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है।

- राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियाँ
- राजस्व घाटे में केवल ऐसे लेनदेन शामिल होते हैं जो सरकार की वर्तमान आय और व्यय को प्रभावित करते हैं।
- जब सरकार को राजस्व घाटा होता है, तो इसका मतलब है कि सरकार बचत कर रही है और अपने उपभोग व्यय के एक हिस्से को वित्तपोषित करने के लिए अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग कर रही है।

☛ राजकोषीय घाटा:- यह सरकार की व्यय आवश्यकताओं और उसकी प्राप्तियों के बीच का अंतर है। यह उस धन के बराबर है जिसे सरकार को वर्ष के दौरान उधार लेने की आवश्यकता होती है। यदि प्राप्तियाँ व्यय से अधिक हों तो अधिशेष उत्पन्न होता है।

- राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर-ऋण सृजन पूंजीगत प्राप्तियाँ)।
- यह सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है।

- वित्तपोषण पक्ष से: सकल राजकोषीय घाटा = घर पर शुद्ध उधार + आरबीआई से उधार + विदेश से उधार
- सकल राजकोषीय घाटा सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था की स्थिरता को आंकने में एक महत्वपूर्ण चर है।

☞ **प्राथमिक घाटा:**- प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा घटा ब्याज भुगतान के बराबर होता है। यह पिछले वर्षों के दौरान लिए गए ऋणों पर ब्याज भुगतान पर किए गए व्यय को ध्यान में नहीं रखते हुए, सरकार की व्यय आवश्यकताओं और इसकी प्राप्तियों के बीच अंतर को इंगित करता है।

- प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान

एफआरबीएम अधिनियम

☞ FRBMA का मतलब 2003 में लागू राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम है, जिसका उद्देश्य भारत के वित्त के प्रबंधन में राजकोषीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।

☞ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा विनियमित किया जाता है।

☞ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 राजकोषीय घाटे को कम करके राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घकालिक मैक्रो-आर्थिक स्थिरता में अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी सुनिश्चित करता है। यह राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप मौद्रिक नीति और विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करता है।

एफआरबीएम फुल फॉर्म	
पूर्ण प्रपत्र	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम
कानून	2003 में भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित
उद्देश्य	राजकोषीय अनुशासन, घाटा प्रबंधन और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करना
लक्ष्यों को	राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे और सार्वजनिक ऋण में कमी
हालिया संशोधन	हाल के परिवर्तनों में चुनौतियों को समायोजित करने और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में समायोजन शामिल है

एफआरबीएम अधिनियम के उद्देश्य

☞ भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम कई प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इन उद्देश्यों का उद्देश्य जिम्मेदार राजकोषीय प्रबंधन को बढ़ावा देना, राजकोषीय घाटे को कम करना और दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करना था। FRBM अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:

1. **राजकोषीय अनुशासन:**- एफआरबीएम अधिनियम का एक प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन में राजकोषीय अनुशासन स्थापित करना था। इसका उद्देश्य सरकारी व्यय और उधार को नियंत्रित करना था, जिससे राजकोषीय घाटे पर अंकुश लगाया जा सके और समग्र राजकोषीय जिम्मेदारी को बढ़ावा दिया जा सके।
2. **राजकोषीय घाटे में कमी:**- इस अधिनियम ने राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे दोनों को उत्तरोत्तर अधिक टिकाऊ स्तर तक कम करने का प्रयास किया। इस कटौती से व्यापक आर्थिक स्थिरता में योगदान, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और उधार पर सरकार की निर्भरता कम होने की उम्मीद थी।
3. **ऋण प्रबंधन:**- इस अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक ऋण के स्तर का प्रबंधन करना और यह सुनिश्चित करना है कि यह उचित सीमा के भीतर रहे। सरकार को भावी पीढ़ियों पर अत्यधिक कर्ज का बोझ डालने से रोकने के लिए प्रभावी ऋण प्रबंधन महत्वपूर्ण था।
4. **राजकोषीय पारदर्शिता:**- एफआरबीएम अधिनियम का उद्देश्य राजकोषीय संकेतकों के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करके और सरकार को नियमित रूप से अपने राजकोषीय प्रदर्शन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता के द्वारा राजकोषीय पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है।
5. **दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता:**- राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करके, इस अधिनियम का उद्देश्य लंबे समय में सरकारी वित्त की स्थिरता सुनिश्चित करना था। यह आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण था।
6. **संसाधनों का आवंटन:**- इस अधिनियम का उद्देश्य व्यर्थ व्यय को कम करके और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे जैसे आवश्यक क्षेत्रों पर खर्च को प्राथमिकता देकर संसाधन आवंटन को अनुकूलित करना है।
7. **व्यापक आर्थिक स्थिरता:**- राजकोषीय विवेक के माध्यम से, इस अधिनियम का उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके, विनिमय दर स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक असंतुलन से बचकर व्यापक आर्थिक स्थिरता में योगदान करना था।

❖ **विजय एल. केलकर की सिफारिशों के अनुसार प्रारंभिक एफआरबीएम लक्ष्य (2008-09 तक पूरा किया जाना है)-**

1. **राजस्व घाटा लक्ष्य**- राजस्व घाटा 31 मार्च 2009 तक पूरी तरह समाप्त हो जाना चाहिए। न्यूनतम वार्षिक कटौती लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% था।
2. **राजकोषीय घाटा लक्ष्य**- 31 मार्च 2009 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक कम किया जाना चाहिए। न्यूनतम वार्षिक कटौती का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 0.3% था।

3. **आकस्मिक देयताएं**- केंद्र सरकार 2004-05 से शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक राशि की वृद्धिशील गारंटी नहीं देगी।

4. **अतिरिक्त देनदारियाँ**- अतिरिक्त देनदारियां (मौजूदा विनिमय दर पर बाहरी ऋण सहित) 2004-05 तक जीडीपी के 9% तक कम की जानी चाहिए। प्रत्येक अगले वर्ष में न्यूनतम वार्षिक कटौती का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 1% होना चाहिए।

5. **RBI द्वारा सरकारी बांड की खरीद**- 1 अप्रैल 2006 से बंद हो जाएगा। यह इंगित करता है कि सरकार आरबीआई से सीधे उधार नहीं लेगी।

❖ **एनके सिंह की अध्यक्षता वाली एफआरबीएम समीक्षा समिति: सिफारिशें**

सरकार का मानना था कि लक्ष्य बहुत कठोर थे।

☛ मई 2016 में, सरकार ने एक की स्थापना कीएनके सिंह के अधीन समिति एफआरबीएम अधिनियम की समीक्षा करना। समिति ने सिफारिश की कि सरकार को 31 मार्च, 2020 तक के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखना चाहिए, 2020-21 में इसे घटाकर 2.8 प्रतिशत और 2023 तक 2.5 प्रतिशत करना चाहिए।

☛ समिति ने राजकोषीय नीति के लिए ऋण को प्राथमिक लक्ष्य के रूप में उपयोग करने का सुझाव दिया। 2017 में यह अनुपात 70% था।

☛ **ये हैं एनके सिंह द्वारा निर्धारित लक्ष्य:**

1. **ऋण-जीडीपी अनुपात:**- समीक्षा समिति ने केंद्र के लिए 40% की सीमा और राज्यों के लिए 20% की सीमा के साथ 60% के ऋण-जीडीपी अनुपात को लक्षित करने की वकालत की।

2. **राजस्व घाटा लक्ष्य**- 31 मार्च, 2023 तक राजस्व घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 0.8% तक कम किया जाना चाहिए। न्यूनतम वार्षिक कटौती का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% था।

3. **राजकोषीय घाटा लक्ष्य**- 31 मार्च, 2023 तक राजकोषीय घाटे को घटाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% किया जाना चाहिए। न्यूनतम वार्षिक कटौती लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 0.3% था।

नवीनतम FRBM लक्ष्य

☛ एफआरबीएम अधिनियम के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार सरकार को 31 मार्च, 2021 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित करना होगा, और केंद्र सरकार के ऋण को 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद के 40% तक सीमित करना होगा।

☛ अधिनियम कुछ शर्तों के तहत वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से विचलन की गुंजाइश प्रदान करता है।

एफआरबीएम अधिनियम में पलायन खंड

☛ एस्केप क्लॉज उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसके तहत केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों के दौरान लचीले ढंग से राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का पालन कर सकती है। इस शब्दावली का आविष्कार एफआरबीएम पर एनके सिंह समिति द्वारा किया गया था।

☛ बजट 2017 में, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एनके सिंह समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक टाल दिया और 3.2% का लक्ष्य चुना।

☛ हालाँकि, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने लक्ष्यों को टालने के लिए सरकार की खिंचाई की, जो उसने कहा कि अधिनियम में संशोधन के माध्यम से किया जाना चाहिए था।

☛ 2018 में, FRBM अधिनियम में और संशोधन किया गया। धारा 4 की उप-धारा (2) में विशिष्ट विवरण अद्यतन किए गए थे। यह खंड सरकार को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में 50 आधार अंक या 0.5 प्रतिशत तक की छूट देने की अनुमति देता है। एफआरबीएम के तहत, यदि राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के उल्लंघन की अनुमति देने के लिए एस्केप क्लॉज को ट्रिगर किया जाता है, तो आरबीआई को सरकारी बांड की प्राथमिक नीलामी में सीधे भाग लेने की अनुमति दी जाती है, इस प्रकार घाटे के वित्तपोषण को औपचारिक रूप दिया जाता है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

☛ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए संबंधित करों का स्थान ले लिया।

जीएसटी क्या है?

- यह एक गंतव्य-आधारित कराधान प्रणाली है।
- इसकी स्थापना 101 द्वारा की गई है। अनुसूचित जनजाति संवैधानिक संशोधन अधिनियम।
- यह भारत को एक एकीकृत बाजार बनाने के लिए ''वन नेशन वन टैक्स'' की तर्ज पर पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है।
- यह अपने पूरे उत्पाद चक्र या जीवन चक्र यानी निर्माता से उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है।
- इसकी गणना वस्तुओं या सेवाओं के किसी भी स्तर पर 'मूल्यवर्धन' में ही की जाती है।
- अंतिम उपभोक्ता कर का केवल अपने हिस्से का भुगतान करेगा, न कि पूरी आपूर्ति श्रृंखला का, जो पहले हुआ करती थी।
- जीएसटी से संबंधित किसी भी मामले पर निर्णय लेने के लिए जीएसटी परिषद का प्रावधान है जिसके अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं।

☞ **केंद्र और राज्य स्तर पर कौन से कर जीएसटी में शामिल किए गए हैं?**

राज्य स्तर पर

- राज्य मूल्य वर्धित कर/बिक्री कर
- मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर के अलावा)
- चुंगी और प्रवेश कर
- खरीद कर
- लक्जरी टैक्स
- लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर

केन्द्रीय स्तर पर

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क
- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
- सेवा कर
- अतिरिक्त सीमा शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी)
- सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क

जीएसटी की मुख्य विशेषताएं

☞ **आपूर्ति पक्ष पर लागू:**- जीएसटी वस्तुओं या सेवाओं की 'आपूर्ति' पर लागू होता है, जबकि पुरानी अवधारणा वस्तुओं के निर्माण या वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर लागू होती है।

☞ **गंतव्य आधारित कराधान:**- जीएसटी मूल-आधारित कराधान के वर्तमान सिद्धांत के विपरीत गंतव्य-आधारित उपभोग कराधान के सिद्धांत पर आधारित है।

☞ **दोहरा जीएसटी:**- यह एक दोहरा जीएसटी है जिसमें केंद्र और राज्य एक साथ समान आधार पर कर लगाते हैं। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) कहा जाता है और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) कहा जाता है।

- वस्तुओं या सेवाओं के आयात को अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और लागू सीमा शुल्क के अलावा एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) के अधीन होगा।

☞ **आपसी सहमति से तय होंगी जीएसटी दरें:**- सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी केंद्र और राज्यों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत दरों पर लगाए जाते हैं। दरें जीएसटी परिषद की सिफारिश पर अधिसूचित की जाती हैं।

☞ **एकाधिक दरें:**- प्रारंभ में जीएसटी चार दरों पर लगाया गया था। 5%, 12%, 16% और 28%। इन कई स्लैबों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की अनुसूची या सूची जीएसटी परिषद द्वारा तैयार की जाती है।

जीएसटी की समयसीमा

- **1986:** राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बजट में उत्पाद शुल्क ढांचे में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा। सैद्धांतिक दृष्टि से यह जीएसटी के समान था।
- **2000:** जीएसटी पर चर्चा शुरू करते हुए, वाजपेयी सरकार ने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री असीम गुप्ता की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति की नियुक्ति की।
- **2004:** वित्त मंत्रालय के तत्कालीन सलाहकार विजय केलकर ने मौजूदा कर व्यवस्था को बदलने के लिए जीएसटी की सिफारिश की।
- **फरवरी 28, 2006:** जीएसटी पहली बार बजट भाषण में दिखा। वित्त मंत्री चिदम्बरम ने 1 अप्रैल, 2010 तक जीएसटी लागू करने का महत्वाकांक्षी कार्य निर्धारित किया है।
- **फरवरी 28, 2007:** चिदंबरम ने अपने बजट भाषण में कहा कि वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति जीएसटी के लिए रोड मैप तैयार करेगी।
- **30 अप्रैल 2008:** अधिकार प्राप्त समिति ने 'भारत में एक मॉडल और रोडमैप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी)' शीर्षक से एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी।
- **10 नवंबर 2009:** अधिकार प्राप्त समिति ने जीएसटी पर बहस का स्वागत करते हुए सार्वजनिक डोमेन में एक चर्चा पत्र प्रस्तुत किया।
- **फरवरी 2010:** सरकार ने वाणिज्यिक करों के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना शुरू की। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी को 1 अप्रैल, 2011 तक टाल दिया।
- **22 मार्च 2011:** जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक (115वां) लोकसभा में पेश
- **29 मार्च 2011:** विधेयक वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया।
- **नवंबर 2012:** वित्त मंत्री और राज्य मंत्रियों ने 31 दिसंबर, 2012 तक सभी मुद्दों को हल करने का निर्णय लिया।
- **फरवरी 2013:** जीएसटी लागू करने के सरकार के संकल्प की घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री ने बजट में राज्यों को मुआवजे का प्रावधान किया।
- **अगस्त 2013:** दस्थायी समिति संसद को एक रिपोर्ट सौंपती है। सुधार का सुझाव देना। लेकिन 15वीं लोकसभा भंग होने के कारण यह विधेयक रद्द हो गया।

- **18 दिसंबर, 2014:** जीएसटी में संविधान संशोधन विधेयक (122वां) को कैबिनेट की मंजूरी।
- **19 दिसंबर 2014:** लोकसभा में संशोधन विधेयक (122वां)।
- **6 मई, 2015:** संशोधन विधेयक (122वां) लोकसभा से पारित हुआ।
- **12 मई 2015:** संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश
- **14 मई 2015:** विधेयक को राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त समिति को भेजा गया
- **अगस्त 2015:** सरकार राज्यसभा में विधेयक पारित करने के लिए विपक्ष का समर्थन हासिल करने में विफल रही जहां उसके पास पर्याप्त संख्याबल नहीं है।
- **3 अगस्त 2016:** राज्यसभा ने संविधान संशोधन विधेयक को दो-तिहाई बहुमत से पारित किया।
- **नोट: जीएसटी संवैधानिक संशोधन विधेयक** इसे लागू करने के लिए कम से कम 50% राज्य विधानमंडलों से पारित होना आवश्यक है। असम है अनुसूचित जनजाति राज्य जीएसटी बिल पारित करेगा।
- **1 जुलाई 2017:** पूरे भारत में लागू होगा जीएसटी।

जीएसटी द्वारा लाए गए सुधार

☞ **सामान्य राष्ट्रीय बाजार का निर्माण:**-बड़ी संख्या में केंद्रीय और राज्य करों को एक कर में समाहित करके।

☞ **कैस्केडिंग प्रभाव का शमन:**- जीएसटी ने बड़े पैमाने पर व्यापक या दोहरे कराधान के दुष्प्रभावों को कम किया और एक आम राष्ट्रीय बाजार का मार्ग प्रशस्त किया।

☞ **कर के बोझ में कमी:**- उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से, सबसे बड़ा लाभ वस्तुओं पर कुल कर बोझ में कमी के रूप में होगा।

☞ **भारतीय उत्पादों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना:**-जीएसटी की शुरूआत उत्पादन की मूल्य श्रृंखला में इनपुट करों के पूर्ण निष्प्रभावीकरण के कारण भारतीय उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बना रही है।

☞ **प्रशासन करना आसान:**- जीएसटी के पारदर्शी और स्व-नियंत्रण चरित्र के कारण, इसे प्रशासित करना आसान होगा।

जीएसटी के फायदे / लाभ

उपभोक्ताओं के लिए

☞ **पारदर्शी कीमतें:**- निर्माता, खुदरा विक्रेता और सेवा आपूर्तिकर्ता के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह के कारण माल की अंतिम कीमत पारदर्शी होने की उम्मीद है।

☞ **मूल्य में कमी:**- कराधान के व्यापक प्रभाव में कमी के कारण दीर्घावधि में वस्तुओं और वस्तुओं की कीमतों में कमी;

☞ **गरीबी उन्मूलन:**- अधिक रोजगार और अधिक वित्तीय संसाधन पैदा करके।

सरकार के लिए

☞ **एक एकीकृत साझा बाजार बनाएं:**- भारत के लिए एकीकृत साझा राष्ट्रीय बाजार बनाने में मदद मिलेगी। इससे विदेशी निवेश और 'मेक इन इंडिया' अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा।

☞ **कराधान को सुव्यवस्थित करें:**- केंद्र और राज्यों तथा विभिन्न राज्यों के बीच कानूनों, प्रक्रियाओं और कर की दरों के सामंजस्य के माध्यम से।

☞ **कर अनुपालन बढ़ाएँ:**- अनुपालन के लिए बेहतर वातावरण क्योंकि सभी रिटर्न ऑनलाइन दाखिल किए जाने हैं, इनपुट क्रेडिट को ऑनलाइन सत्यापित किया जाना है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लेनदेन के अधिक पेपर ट्रेल को प्रोत्साहित किया जा सके;

☞ **कर चोरी को हतोत्साहित करें:**- समान एसजीएसटी और आईजीएसटी दरें पड़ोसी राज्यों के बीच और अंतर-राज्य बिक्री के बीच दर मध्यस्थता को समाप्त करके चोरी के लिए प्रोत्साहन को कम कर देंगी।

समग्र अर्थव्यवस्था के लिए

- **निश्चितता लाएं:**- करदाताओं के पंजीकरण की सामान्य प्रक्रियाएं, करों की वापसी, कर रिटर्न के समान प्रारूप, सामान्य कर आधार, वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण की सामान्य प्रणाली कराधान प्रणाली को अधिक निश्चितता प्रदान करेगी;
- **भ्रष्टाचार कम करें:**- आईटी के अधिक उपयोग से करदाता और कर प्रशासन के बीच मानवीय इंटरफेस कम हो जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार को कम करने में काफी मदद मिलेगी;
- **सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ावा:**- यह निर्यात और विनिर्माण गतिविधि को बढ़ावा देगा, अधिक रोजगार पैदा करेगा और इस प्रकार लाभकारी रोजगार के साथ सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करेगा जिससे ठोस आर्थिक विकास होगा।

  अंतत: यह अधिक रोजगार और अधिक वित्तीय संसाधन पैदा करके गरीबी उन्मूलन में मदद करेगा।

जीएसटी के नुकसान /अवगुण /दोष

☞ **बढ़ी हुई अनुपालन लागत:**- व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) को जीएसटी प्रणाली की जटिलता के कारण अनुपालन लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ा है। इसमें कर सलाहकारों को नियुक्त करने, सॉफ्टवेयर खरीदने और आईटी बुनियादी ढांचे को बनाए रखने की लागत शामिल है।

☞ **एसएमई के लिए उच्च कर देनदारी:**- कुछ वस्तुओं और सेवाओं के लिए उच्च जीएसटी दरों ने एसएमई, विशेषकर विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों पर कर का बोझ बढ़ा दिया है। इससे एसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता पर जीएसटी के प्रभाव को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

☛ **दंड और जुर्माना:**- जीएसटी की सख्त अनुपालन आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप गैर-अनुपालन के लिए दंड और जुर्माने में वृद्धि हुई है। इससे व्यवसायों पर बोझ बढ़ गया है, विशेषकर उन पर जो जटिल नियमों और विनियमों से पूरी तरह अवगत नहीं हैं।

☛ **असंगठित क्षेत्र पर प्रभाव:**-जीएसटी की शुरूआत से असंगठित क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। असंगठित क्षेत्र के कई व्यवसायों को जीएसटी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, जिससे उनके संचालन में व्यवधान पैदा हुआ है।

☛ **तकनीकी मुद्दें :**- जीएसटी के कार्यान्वयन के साथ कई शुरुआती मुद्दे भी जुड़े हैं, जैसे तकनीकी गड़बड़ियां और सॉफ्टवेयर समस्याएं। इन मुद्दों से व्यवसायों और करदाताओं को असुविधा हुई है।

जीएसटी लागू करने के लिए प्राधिकरण

जीएसटी परिषद

☛ जीएसटी से संबंधित सभी मामले जैसे नियम, विनियम, मुद्दे आदि जीएसटी परिषद द्वारा तय किए जाते हैं।

☛ यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका नेतृत्व केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसके सदस्यों में केंद्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों, दिल्ली और पुडुचेरी के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री शामिल हैं।

☛ जीएसटी परिषद के भीतर निर्णय बहुमत मतदान पर आधारित होते हैं।

राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण

(National Anti&Profiteering Authority) (NAA)

☛ राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (NAA) की स्थापना केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत की गई है, जो कर दरों में कमी से संबंधित मामलों से संबंधित है और इनपुट टैक्स क्रेडिट से प्राप्त लाभ को इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचाया जाता है।

☛ नोट- जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी वह कर है जो कोई व्यवसाय खरीदारी पर चुकाता है और इसका उपयोग वह बिक्री करते समय अपनी कर देनदारी को कम करने के लिए कर सकता है। दूसरे शब्दों में, व्यवसाय खरीदारी पर भुगतान किए गए जीएसटी की सीमा तक क्रेडिट का दावा करके अपनी कर देनदारी को कम कर सकते हैं।

ई-वे बिल

- जीएसटी के तहत, व्यक्ति को 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल के लिए ई-वे बिल रखना होगा जो अंतर-राज्य और अंतर-राज्य व्यापार के लिए ले जाया जा रहा है। कॉपीराइट@iasexpress.net
- यह ई-वे बिल पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न होता है।

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन)

☛ जीएसटीएन कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी कंपनी है। यह जीएसटी के लिए आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों पर सरकार को प्रशासन और सलाह देने में शामिल है।

☛ केंद्र के पास 24.5% हिस्सेदारी है, राज्यों के पास 24.5% हिस्सेदारी है, और शेष 51% आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और एनएसई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच विभाजित है।

☛ हाल ही में कैबिनेट ने जीएसटीएन को सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी है। यानी अब इस पर 100 फीसदी मालिकाना हक सरकार का होगा।

☛ जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए इंफोसिस लिमिटेड और जीएसटीएन के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

❑❑❑